2021 का विधेयक संख्यांक 144.

[दि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस (सेलरिज़ एंड कंडिशन्स आफ सर्विस) अमेंडमेंट बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2021

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 2021 है ।

अध्याय 2

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 का संशोधन

धारा 17ख का संशोधन ।

2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 17ख में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 1954 का 28

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन की अतिरिक्त मात्रा या कुटुंब पेंशन के लिए कोई हकदारी सदैव उस मास की पहली तारीख, जिसको पेंशन भोगी या कुटुंब पेंशन भोगी, मान के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर लेता है, से होगी और सदैव उस तारीख से समझी जाएगी ।"

अध्याय 3

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 का संशोधन

धारा 16ख का संशोधन ।

3. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 की धारा 16ख में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 1958 का 41

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन की अतिरिक्त मात्रा या कुटुंब पेंशन के लिए कोई हकदारी सदैव उस मास की पहली तारीख, जिसको पेंशन भोगी या कुटुंब पेंशन भोगी, मान के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर लेता है, से होगी और सदैव उस तारीख से समझी जाएगी ।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और कतिपय सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था । उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और कतिपय सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 2009 की धारा 17ख और 16ख को क्रमश: उक्त अधिनियमों में यह उपबंध करने के लिए अंत:स्थापित किया गया था कि, यथास्थिति, प्रत्येक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका कुटुंब, उसमें विनिर्दिष्ट मान के अनुसार पेंशन या कुटुंब पेंशन की अतिरिक्त मात्रा का हकदार होगा । तदनुसार, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन की अतिरिक्त मात्रा को, यथास्थिति, 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष और 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर मंजूर किया जा रहा है ।

3. तथापि, उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश वीरेन्द्र दत्त ज्ञानी द्वारा फाइल रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय गुवाहाटी ने 15 मार्च, 2018 के अपने आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि पूर्वोक्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 17ख के अनुसार पहले स्लैब में अतिरिक्त पेंशन की मात्रा का फायदा किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उसके अस्सी वर्ष की आयु के पहले दिन से उपलब्ध होगा ।

4. तत्पश्चात्, माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने भी, भारत का उच्चतम न्यायालय और भारत के उच्च न्यायालय सेवानिवृत्त न्यायाधीश संघ द्वारा फाइल रिट याचिकाओं में 3 दिसंबर, 2020 को दिए गए अपने आदेश में प्रत्यर्थी भारत संघ को "1958 के अधिनियम की धारा 16ख और 1954 के अधिनियम की धारा 17ख के अधीन स्लैब में आने वाले "से" शब्द का निर्वचन, जो कि याचियों को अन्य पारिणामिक फायदों के साथ स्लैब (अर्थात् 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष) में न्यूनतम आयु में प्रवेश करने के पहले दिन के रूप में दिया गया है ।

5. पूर्वोक्त अधिनियमों में क्रमश: धारा 17ख और धारा 16ख को अंत:स्थापित करने के पीछे विधायी आशय सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उस मास की पहली तारीख से, जिसको वह मान के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर लेता है, से पेंशन की अतिरिक्त मात्रा का फायदा देना था और न कि उसमें विनिर्दिष्ट आयु में प्रवेश करने से, जैसा कि उच्च न्यायालयों ने निर्वचन किया है । इसलिए, उक्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 17ख में और उक्त उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम की धारा 16ख में एक स्पष्टीकरण अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि आशय को यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट किया जा सके कि किसी अन्य निर्वचन की कोई गुंजाईश ही नहीं है ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
24 नवम्बर, 2021.

किरेन रीजीजू